

प्रेस नोट, जनपद गाजीपुर

जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा ₹ 25000/- इनामिया अभियुक्त को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया गया, जिनके विरुद्ध जनपद में हत्या, लूट, हत्या का प्रयास जैसे दर्जनों मुकदमें हैं पंजीकृत।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के तहत थानाध्यक्ष बरेसर मय हमराहीयान देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित अपराधियों के तिराहीपुर में मौजूद थे कि वही पर स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक श्यामजी यादव मय हमराहीयान आकर मिले आपस में अपराध एवं अपराधियों के संबंध में बातचीत की जा रही थी कि रसड़ा की तरफ से एक मोटरसाइकिल तेज रफ्तार से आती हुई दिखायी दी, जिससे संदेह होने पर पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। बाइक चालक द्वारा बाइक न रोककर वापस मुड़कर जाने का प्रयास किया तथा पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा असलहा निकालकर पुलिस टीम पर फायर करने लगा। पुलिस टीम द्वारा बचाव करते हुए आवश्यक बल प्रयोग कर तिराहीपुर तिराहे से बाइक सवार दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से पूछताछ के दौरान एक अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसका नाम रामअवध उर्फ शेरू राजभर पुत्र मानिक चन्द्र, नि0-ग्राम रेन्गा, थाना बरेसर, गाजीपुर व पीछे बैठे व्यक्ति का नाम राहुल राय पुत्र मुन्ना राय, नि0 ग्राम देवरिया, थाना जमानिया, गाजीपुर है।

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि दिनांक:12/13.10.2020 की रात्रि में बरेसर चट्टी से एक सफेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल चुराया था, जिसके संबंध में थाना बरेसर पर मु0अ0सं0-185/2020, धारा-379 भादवि पंजीकृत है। इसी चुरायी हुई अपाचे मोटरसाइकिल से अपने मित्र राहुल राय के साथ दिनांक:15.10.2020 को मिलकर यूनियन बैंक के बगल में ग्राहक सेवा केन्द्र के कर्मचारी से पैसा लेकर जाते समय काशीनाथ एम0एल0सी0 स्कूल सड़क पर केन्द्र संचालक को पिस्टल सटाकर उसका पैसों से भरा बैग छिन लिया था। इसके संबंध में थाना बड़ेसर पर मु0अ0सं0-186/2020, धारा-392 भादवि पंजीकृत है। पैसा लूटने के बाद हम लोग जा रहे थे कि अचानक गाड़ी बंद हो गई, काफी प्रयास के बाद भी गाड़ी चालू नहीं हुई। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर खड़ा था कि हम लोगों ने उससे चाभी मांगा, परन्तु उसके द्वारा चाभी व मोटरसाइकिल नहीं दी जा रही थी, जिससे गुस्से में आकर राहुल द्वारा व्यक्ति के पीठ पर गोली मारकर हमलोग मोटरसाइकिल लेकर भाग गये थे। रास्ते में बैग को चेक किया तो उसमें लैपटाप व पैसा था। जिससे पकड़े जाने के डर से लैपटाप को रास्ते में फेक दिया था। इसके संबंध में थाना बरेसर पर मु0अ0सं0-187/2020, धारा-302, 394 भादवि पंजीकृत है।

तीन माह पूर्व शेरू व राहुल द्वारा गाजीपुर से बलिया जाते समय अटवा मोड़ के पास एक वृद्ध व्यक्ति से 20,000/- रूपये छिन लिये थे। दिनांक:21.11.2020 को थाना मरदह क्षेत्र में रवि सिंह उर्फ चंदन सिंह पुत्र देवप्रताप सिंह, नि0- ग्राम छोटकी कोयलाबारी, थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर के कहने पर सनी कुमार गौतम पुत्र रविन्द्र कुमार, नि0 कबीरपुर, थाना मरदह, गाजीपुर को गोली मारकर भाग गये थे। इसके संबंध में थाना मरदह पर मु0अ0सं0-338/2020, धारा-147,148,307,120बी भादवि 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत है।

अभियुक्तों के गिरफ्तारी के संबंध में थाना बरेसर पर मु0अ0सं0-215/2020, धारा-307 भादवि व मु0अ0सं0-216/2020 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

❖ गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:

1. रामअवध उर्फ शेरू राजभर (₹ 25,000/-इनामिया) पुत्र मानिकचन्द्र, नि0-ग्राम रेन्गा, थाना बरेसर, गाजीपुर।
2. राहुल राय पुत्र मुन्ना राय, नि0- ग्राम देवरिया थाना जमानिया, गाजीपुर।

❖ बरामदगी:

1. 01 अदद पिस्टल 9 mm, 02 जिंदा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस 9 mm।
2. 01 अदद पिस्टल .32 बोर, 01अदद जिंदा कारतूस .32 बोर।
3. 01 अदद स्पेलण्डर मोटरसाइकिल।
4. ₹ 105150/- व 01 अदद थम्ब स्कैनर मशीन।

❖ आपराधिक इतिहास:

रामअवध उर्फ शेरू राजभर

1. मु0अ0सं0-495/2017, धारा-504,506,302 भादवि थाना बरेसर, गाजीपुर।
2. मु0अ0सं0- 73/2019, धारा-392, 120 बी, 411, 414 भादवि, थाना कासिमाबाद, गाजीपुर।
3. मु0अ0सं0- 75/2019, धारा-41,411, 414 भादवि, थाना रसड़ा, जनपद बलिया।
4. मु0अ0सं0- 74/2019, धारा-307, 34 भादवि थाना रसड़ा, जनपद बलिया।
5. मु0अ0सं0- 76/2019, धारा-3/7/25 आर्म्स एक्ट, थाना रसड़ा, जनपद बलिया।
6. मु0अ0सं0- 39/2019, धारा-394, 411 भादवि थाना बरेसर, जनपद गाजीपुर।
7. मु0अ0सं0- 117/2019, धारा-3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना रसड़ा, जनपद बलिया।
8. मु0अ0सं0-186/2020, धारा-392,411 भादवि थाना बरेसर, गाजीपुर।
9. मु0अ0सं0- 70/2020, धारा-380,394,457 भादवि थाना रसड़ा, जनपद बलिया।
10. मु0अ0सं0-142/2020, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरेसर, गाजीपुर।
11. मु0अ0सं0-185/2020, धारा-379, 411,420,467,468,471 भादवि थाना बरेसर, गाजीपुर।
12. मु0अ0सं0-187/2020, धारा-302,394,411 भादवि थाना बरेसर, गाजीपुर।
13. मु0अ0सं0-215/2020, धारा-307 भादवि थाना बरेसर, गाजीपुर।
14. मु0अ0सं0-216/2020, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट, गाजीपुर।

राहुल राय पुत्र मुन्ना राय

1. मु0अ0सं0-567/2014 धारा-394 भादवि थाना जमानिया, गाजीपुर।
2. मु0अ0सं0-788/2015, धारा-147,148,149,307,504,506 भादवि थाना जमानिया, गाजीपुर।
3. मु0अ0सं0- 88/2016, धारा-3(1) गैग्रेस्टर एक्ट, थाना जमानिया, गाजीपुर।
4. मु0अ0सं0-2980/2017, धारा-302, 120बी, थाना कोतवाली, गाजीपुर।
5. मु0अ0सं0-3189/2017, धारा-307 भादवि थाना कोतवाली, गाजीपुर।
6. मु0अ0सं0-3195/2017, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली, गाजीपुर।
7. मु0अ0सं0-171/2019, धारा-364 भादवि थाना नन्दगंज, गाजीपुर।
8. मु0अ0सं0-221/2019, धारा-307 भादवि थाना नन्दगंज, गाजीपुर।
9. मु0अ0सं0-223/2019, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना नन्दगंज, गाजीपुर।
10. मु0अ0सं0-252/2019, धारा-3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना नन्दगंज, गाजीपुर।
11. मु0अ0सं0-185/2020, धारा-379, 411,420,467,468,471 भादवि थाना बरेसर, गाजीपुर।
12. मु0अ0सं0-187/2020, धारा-302,394,411 भादवि थाना बरेसर, गाजीपुर।
13. मु0अ0सं0-215/2020, धारा-307 भादवि थाना बरेसर, गाजीपुर।
14. मु0अ0सं0-216/2020, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट, बरेसर गाजीपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम:

1. नि0 श्यामजी यादव, प्रभारी स्वॉट टीम, जनपद गाजीपुर।
2. उ0नि0 संजय कुमार मिश्रा, थानाध्यक्ष बरेसर, जनपद गाजीपुर।
3. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार उपाध्याय, थाना बरेसर, जनपद गाजीपुर।
4. हे0का0 रामभवन यादव, स्वॉट टीम, जनपद गाजीपुर।
5. कां0 रामप्रताप सिंह, विनय यादव, राणा प्रताप, आशुतोष सिंह, भाईलाल, विकास श्रीवास्तव, ओमप्रकाश सिंह, स्वॉट टीम, जनपद गाजीपुर।
6. कां0 नीरज कुमार, दिवाकर सिंह, अमित कुमार, प्रकाश यादव, यशवंत सिंह, विधि यादव, अवधेश सिंह, म0का0 खुशबू सिंह, श्वेता सिंह, थाना बरेसर, जनपद गाजीपुर।